न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

वाद संख्या–विविध–59 / 2016–17

प्रथम पक्षः–बसन्त महतो एवं अन्य, ग्राम–बनवार, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–मुन्ना महतो एवं अन्य, ग्राम–बनवार, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

1 2 3

आदेश

इस अपील वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी बसन्त महतो, पारे महतो, देनी महतो, सुबा महतो, सेवक महतो, सभी के पिता–स्व0 राजनाथ महतो, ग्राम–बनवार, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा के अभ्यावेदन पर प्रारम्भ की गई। इस वाद में विपक्षी मुन्ना महतो, पिता–स्व0 बढ़न महतो, ग्राम–बनवार, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा है। यह अपील वाद अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा वाद संख्या–08 / 2013–14 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में लाया गया है। प्रक्रिया में उभय पक्षों ने इस न्यायालय में अपना–अपना लिखित कथन दाखिल किया है। उभय पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने–अपने दावे के समर्थन में राजस्व कागजात भी दाखिल किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद इसे आदेशार्थ रखा गया है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	कुल रकबा	कुल रकबा
बनवार	32, 18, 47, 41, 48, 62, 57	4.06ए0, 3.24ए0, 0.23ए0, 0.72 ए0 0.20 ए0, 0.35 ए0 0.46 ए0	9.26 एकड़

इस वाद की प्रक्रिया में अपीलार्थी ने लिखित कथन दाखिल कर यह कहा है कि विपक्षी मुन्ना यादव के आवेदन पर अंचल अधिकारी, लावालौंग ने वाद संख्या–08 / 2013–14 में दिनांक–06.12.2013 को मौजा–बनवार के खाता नं0–32, 18, 41, 48, 62, 57, कुल रकबा–9.26 एकड़ भूमि विपक्षी मुन्ना यादव के नाम से लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया, जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड की जमाबन्दी राजनाथ महतो व मुन्ना महतो के नाम से चल रहा था और प्रश्नगत भू–खण्ड निबंधित केवाला संख्या–486, दिनांक–24.05.1948 के द्वारा राजनाथ महतो, पिता–मंती महतो और मुन्ना महतो, पिता–बढ़न महतो के द्वारा रूपिया ग्वालिन, पति–बोधी महतो, साकिन–बनवार, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा से क्रय किया गया था। यह भूमि खेंवट नं0–4, 7, 11, 3, 6, 5 के अन्तर्गत मौजा–बनवार के अन्तर्गत में आता है। जमींदारी रिटर्न में क्षतिपूर्ति वाद संख्या–11 / 1959–60 के अन्तर्गत राजनाथ महतो का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। राजनाथ महतो ने अपने अंश की भूमि रजिस्टर्ड केवाला संख्या–494, दिनांक–27.06.1953 के

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा बिक्री कर दिया। अंचल अधिकारी, लावालौंग ने बिना कुछ विपक्षी का सुने हुए मुन्ना महतो के पक्ष में एकतरफा आदेश पारित कर दिया है और Long Running जमाबन्दी जो राजनाथ महतो और मुन्ना महतो के नाम से चल रहा था, उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रद्द कर दिया।

अपीलार्थी ने अपने लिखित कथन में आगे कहा है कि रजिया देवी, पति–मोती महतो और जीतनी देवी, पति–बढ़न महतो को घरजमाई के रूप में बोधी महतो ने अपने जीवन काल में रखा था। रूपिया देवी जो बोधी महतो की पत्नी थी, ने पूर्ण होशो–हवाश में खाता नं0–18, 32, 47, 41, 48, 62 और 42 के अन्तर्गत कुल रकवा–24.98 एकड भूमि केवाला संख्या–486, दिनांक–24.05.1948 के द्वारा राजनाथ महतो पुत्र–रजिया देवी और मुन्ना महतो पुत्र–जीतनी देवी, को केवाला किया था साथ हीं साथ दखल–कब्जा दे दिया गया था। इसी के आधार पर राजनाथ महतो और मुन्ना महतो के नाम से जमाबन्दी कायम हुआ था और साल–दर–साल सरकारी लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे थे। राजनाथ महतो संयुक्त परिवार का कर्त्ता था। अंचल अधिकारी, लावालौंग ने Judicial Mind Apply नहीं किया और सभी तथ्यों को दर–किनार करते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित कर दिया। यह कि धनेश्वर महतो अविवाहित मृत हो गए थे तथा उसकी माता मसो0 रूपिया देवी और बहन रजिया देवी, पति–मोती महतो तथा जीतनी देवी, पति–बढ़न महतो वैध उतराधिकारी के रूप में रह गए थे। धनेश्वर महतो की मृत्यु के बाद परिवार में रूपये की सख्त आवश्यकता थी। राजनाथ महतो संयुक्त परिवार का कर्त्ता था, ऐसी स्थिति में राजनाथ महतो ने संयुक्त संपत्ति का अंश केवाला संख्या–994, दिनांक–27.06.1953 के द्वारा रकवा–12.49 एकड भूमि बिक्री किया था, जिसमें मुन्ना महतो की भी सहमति थी। यह बिक्री संयुक्त परिवार के संयुक्त हित में किया गया था। यह कि जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 अस्तित्व में आया उस वक्त खाता नं0–18, 32, 47, 41, 48, 62 और 42 के खेंवट नं0–3, 4, 5, 7, 11, कुल रकवा–24.98 एकड़, मधे रकवा–12.49 एकड भूमि राजनाथ महतो और मुन्ना महतो के नाम से जमाबन्दी चल रही थी। साथ हीं साथ सरकारी सिरिस्ते में लगान अदा भी किया जा रहा था। दोनों हीं संयुक्त परिवार की संपत्ति पर संयुक्त रूप से जमाबन्दी कायम था। क्षतिपूर्ति वाद संख्या–11/1959–60 अन्तर्गत रिटर्न राजनाथ महतो के नाम पर दर्ज है। राजनाथ महतो की मृत्यु भी संयुक्त परिवार के अन्तर्गत हुआ और अपने पीछे पांच पुत्र बसन्त महतो, पारो महतो, डेनी महतो, सुबा महतो, सेवक महतो को उतराधिकार के रूप में छोड़कर मरे। अपीलार्थी का कथन है कि अंचल अधिकारी, लावालौंग और उनके अधिनस्त कर्मियों ने मुन्ना महतो के पक्ष में जान–बूझकर गलत आदेश पारित किया है, जबकि लम्बी अवधि से राजनाथ महतो के नाम पर जमाबन्दी प्रश्नगत भू–खण्ड पर चल रहा था। इस जमाबन्दी को रद्द करने की प्रक्रिया में

Scanned with OKEN Scanner

कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए अपीलार्थी का कथन है कि निम्न न्यायालय अन्तर्गत अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा वाद संख्या–08/2013–14 में दिनांक–14.08.2013 के पारित आदेश को रद्द कर दिया जाय और इसे पूर्व की भांति यथावत रखा जाय।

दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित कथन दाखिल कर यह कहा है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि राजनाथ महतो, पिता–मोती महतो व मुन्ना महतो, पिता–बढ़न महतो ने संयुक्त रूप से मसो0–रूपिया ग्वालिन से केवाला संख्या–486/48, दिनांक–23.05.1948 के द्वारा मो0–400 (चार सौ) रूपये में क्रय किया था। क्रय करने के बाद दोनों संयुक्त रूप से इस भूमि पर दखल–कब्जा में आए। राजनाथ महतो ने सेठा महतो व जगदेव महतो को बिक्री केवाला संख्या–994, दिनांक–27.06.1953 के द्वारा मो0–550 (पांच सौ पच्चास) रूपये में अपने अंश की भूमि को बिक्री कर दिया। बिक्री केवाला से प्राप्त भूमि को सेठा महतो व जगदेव महतो व पुना महतो के द्वारा नामान्तरण के लिए अंचल अधिकारी, लावालौंग के पास आवेदन दिया। खाता नं0–32, 18, 47, 41, 48, कुल रकबा–9.26 एकड़ भूमि अंचल अधिकारी, लावालौंग ने वाद संख्या–08/2013–14 के द्वारा जो मौजा–बनवार के अन्तर्गत आता है, इसका जमाबन्दी खोलने का आदेश पारित किया। द्वितीय पक्ष ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि सन्–1995 में लावालौंग प्रखण्ड में अग्नि काण्ड कीघटना होने से सभी कागजात जल गया, जिसके कारण मुन्ना महतो के नाम से चल रही जमाबन्दी का कागजात जल जाने से रसीद निर्गत होना बन्द हो गया था। द्वितीय पक्ष ने अंचल अधिकारी, लावालौंग के समक्ष जमाबन्दी कायम करने हेतु प्रश्नगत खाता–प्लॉट की भूमि पर अभ्यावेदन दिया। अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए मुन्ना महतो के नाम से खाता नं0–32, रकबा–4.06 एकड़, खाता नं0–18, रकबा–3.24 एकड़, खाता नं0–47, रकबा–0.23 एकड़, खाता नं0–41, रकबा–0.72 एकड़, खाता नं0–48, रकबा–0.20 एकड़, खाता नं0–62, रकबा–0.35 एकड़, खाता नं0–57, कुल रकबा–3.31 एकड़, मध्ये रकबा–0.46 एकड़ का कुल सामिलात रकबा–9.26 एकड़ भूमि का जमाबन्दी खोलने तथा लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। द्वितीय पक्ष ने अपने लिखित कथन के अन्त में पुनः इस बात का उल्लेख किया है कि यद्यपि राजनाथ महतो ने अपने जीवन काल में हीं अपने अंश की भूमि को बिक्री कर दिया, ऐसी स्थिति में उनके वारिसानों का प्रश्नगत भू–खण्ड पर किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। अतः इस प्रक्रिया को खारिज किया जाय।

इस वाद की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा वाद संख्या–08/2013–14 में पारित आदेश का अवलोकन किया। पारित आदेश तथा अभिलेख

Scanned with OKEN Scanner

अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक श्री मुन्ना यादव, पिता–बढ़न महतो, ग्राम–बनवार के द्वारा मौजा–बनवार के खाता नं0–18, 32, 47, 41, 48, 62, 42, कुल रकबा–24.98 एकड़ भूमि के संदर्भ में जमाबन्दी कायम कर रसीद निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, लावालौंग को आवेदन दिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजनाथ महतो ने केवाला संख्या–994, दिनांक–27.06.1953 के द्वारा अपने आधे हिस्से की भूमि को बिक्री कर दिया है इसीलिए शेष भूमि जिसका रकबा–12.49 एकड़ है, की जमाबन्दी आवेदक मुन्ना महतो वल्द बढ़न महतो के नाम से कायम कर दी जाय। अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा इस पर हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई तथा हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन को आधार बनाकर मौजा–बनवार के खाता संख्या–32, 18, 47, 41, 48, 62 और 57, जमा रकबा–9.26 एकड़ भूमि की जमाबन्दी मुन्ना यादव के नाम से कायम करने का आदेश पारित किया तथा बकाया तिथि वर्ष–1974–75 से लगान वसूलने का भी आदेश पारित किया। आदेश फलक के साथ कार्यालय आदेश पत्रांक–158, दिनांक–16.12.2013 भी अभिलेख में संलग्न पाया, जिसमें राजस्व कर्मचारी हल्का नं0–02, अंचल–लावालौंग को अंचल अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का जमाबन्दी मुन्ना यादव, पिता–बढ़न यादव के नाम से कायम कर लगान वसूल करें। आदेश फलक के अवलोकन से आगे यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कागजात दाखिल करने के लिए समुचित अवसर नहीं दिया गया। विपक्षी ने जब समय की मांग किया, तो एक बार समय देकर पुनः अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा द्वितीय पक्ष अथवा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया तथा पूर्व से चली आ रही अपीलार्थी की पूर्वज के नाम की जमाबन्दी को रद्द कर दिया गया तथा बकाया तिथि से लगान वसूल करने तथा रसीद निर्गत करने का भी आदेश दिया गया।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किए गए लिखित कथन तथा अंचल अधिकारी के द्वारा वाद संख्या–08/2013–14 के अन्तर्गत पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी बसन्त महतो के द्वारा इस न्यायालय में अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जो अपील वाद लाया गया है, वह निश्चित तौर पर अंचल अधिकारी, लावालौंग के एक विरोधाभाषी एवं अविवेकपूर्ण तरीके से पारित किये गए आदेश से संबंधित है। अंचल अधिकारी ने पूर्व से चली आ रही जमाबन्दी में छेड़–छाड़ किया है, जो शक्ति इन्हें प्रदत्त नहीं थी। जब एक बार जमाबन्दी कायम हो चुका है तथा जमाबन्दी लम्बी अवधि का था, तो अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा द्वितीय पक्ष के आवेदन के आलोक में मात्र हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर स्वयं आदेश पारित कर पूर्व की जमाबन्दी को निरस्त करते हुए संशोधित लगान रसीद निर्गत करने

Scanned with OKEN Scanner

का आदेश हल्का कर्मचारी को नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसके लिए अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी नहीं थे।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा वाद संख्या–08/2013–14 के अन्तर्गत पारित किये गए आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं नियमसंगत नहीं मानते हुए इसे **निरस्त** किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, लावालौंग को यह भी निर्देश दिया जाता है कि पूर्व की भांति कायम जमाबन्दी को तब तक यथावत रखेंगें, जबतक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबन्दी के विरूद्ध कोई विपरित आदेश पारित नहीं होता है।

अतः असंतुष्ट पक्ष इसके लिए सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/9/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

27/9/2022

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 14:58:25 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner